

The Chit Funds (Amendment) Bill, 2023 (*Amendment of sections 2 and 4*)

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 171, श्री सुकान्त मजूमदार जी।

13.14½ hrs